



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042020-218997
CG-DL-E-03042020-218997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]
No. 87]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 2020/चैत्र 14, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 2020/CHAITRA 14, 1942

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

(डाक जीवन बीमा निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020

फा. सं. 04-01/2019-एलआई.—डाकघर जीवन बीमा नियमावली (2011) के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाकघर जीवन बीमा निधि की परिसंपत्तियों व देयताओं के बीमांकक मूल्यन (पीओएलआईएफ) के 31.03.2017, 31.03.2018 एवं 31.03.2019 के आधार पर, महानिदेशक (डाक), डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के मृत्यु अथवा परिपक्वता के कारण उनके दावे बनने पर निम्नलिखित दरों पर साधारण प्रत्यावर्तनीय बोनस की घोषणा करते हैं :-

	बीमा पॉलीसी का प्रकार	बोनस की दर
i.	आजीवन बीमा (डब्ल्यूएलए)	रु. 85/- प्रति एक हजार रुपए की बीमित राशि के लिए
ii.	सावधि बीमा (ईए) (बाल पालिसी एवं युगल सुरक्षा पालिसियों सहित)	रु. 58/- प्रति एक हजार रुपए की बीमित राशि के लिए
iii.	प्रत्याशित सावधि बीमा (एईए)	रु. 53/- प्रति एक हजार रुपए की बीमित राशि के लिए
iv.	परिवर्तनीय आजीवन बीमा	आजीवन बीमा बोनस की दरें लागू होंगी किंतु परिवर्तन के पश्चात् सावधि बीमा की बोनस की दरें लागू होंगी।
v.	अंतिम बोनस	20 वर्ष और उससे अधिक अवधि की आजीवन बीमा पालिसियों तथा सावधि बीमा पालिसियों पर रु. 20/- प्रति दस हजार रु. बीमित राशि की दर से, अधिकतम रु. 1000/- प्रति पालिसी।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए बोनस की दरें इस अधिसूचना के सर्कलों में प्राप्त होने की तारीख से लागू होंगी तथा यह उन दावा मामलों के लिए भी लागू होंगी जो इस अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख तक प्राप्त हो चुके थे पर निपटाए नहीं गए थे।
3. उल्लिखित अंतरिम बोनस की दरें भविष्य का मूल्यन पूरा होने तक परिपक्वता अथवा मृत्यु के कारण किए जाने वाले सभी दावों के लिए भी देय होंगी।
4. बोनस में सम्मिलित 50 पैसे या उससे अधिक के अंश को अगले रूप में पूर्णांकित किया जाए तथा 50 पैसे से कम के अंश की गणना न की जाए।

लक्ष्मी नारायण शर्मा, मुख्य महाप्रबन्धक (डाजीबी)
(सह सचिव के समतुल्य पदधारी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Posts)
(DIRECTORATE OF POSTAL LIFE INSURANCE)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2020

F. No. 04-01/2019-LI.—In exercise of powers conferred *vide* Rule 3 of Post Office Life Insurance Rules (2011) and on the basis of Actuarial Valuation of the assets and liabilities of Post Office Life Insurance Fund (POLIF) as on 31.03.2017, 31.03.2018 and 31.03.2019, the Director General (Posts) is pleased to declare a simple Reversionary Bonus on the Postal Life Insurance Policies on their becoming claims, due to death or maturity at the following rates:-

Type of Insurance Policy	Rate of Bonus
i. Whole Life Assurance (WLA)	Rs. 85/- per thousand of sum assured
ii. Endowment Assurance (EA) (including Joint life & children policies)	Rs. 58/- per thousand of sum assured
iii. Anticipated Endowment Assurance (AEA)	Rs. 53/- per thousand of sum assured
iv. Convertible Whole Life Policies (CWA)	Whole Life bonus rate would be applicable, but on conversion, Endowment Assurance bonus rate will be applicable
v. Terminal Bonus	Rs. 20/- per sum assured of Rs. 10,000/- subject to maximum of Rs. 1000 for Whole life assurance and Endowment assurance policies with term of 20 years or more.

2. The rates of Bonus for Financial Years 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 will be applicable from the date of Notification by the Circles and this will also be applicable to claim cases received but not settled till the date of receipt of this Notification.
3. Interim Bonus at the rates mentioned above will also be payable for all claims arising due to maturity or death until future valuation is completed.
4. The amount of Bonus involving a fraction of 50 paise or more shall be rounded off to the next higher Rupee and fraction below 50 paise shall be ignored.

LAXMI NARAYAN SHARMA, Chief General Manager (PLI)
(Equivalent to the Rank of Addl. Secy.)